न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

पुनरीक्षण क्रमांक- ×16
निग-1137-PBR-16

1- श्री नर्मदाप्रसाद

2- सोनू

3- देवेन्द्र

4- गोपाल

सभी पुत्रगण नंदकिशोर आयु-वयस्क

निवासी बरखेड़ी खुर्द, तहसील हुजूर

जिला भोपाल ---------पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1- श्रीमति उषादेवी पत्नी श्री के. एन. शुक्ला

आयु- वयस्क निवासी-ए-12, आकृति गार्डन

नेहरूनगर, रोड, भोपाल म0प्र0

2- सीताराम

3- धनीराम

4- प्रेमनारायण

5- हरीप्रसाद

6- बृजलाल

7- करणसिंह

8- बसंतीबाई

पुत्र-पुत्री डालचंद

निवासी~~ग्राम बरखेड़ी खुर्द~~

~~जिला भोपाल~~

9- स्टरलिंग कान्ट्रेक्ट एण्ड बिल्डर्स

द्वारा अवनीश सबरलाल,

निवासी---------------भोपाल

----रेस्पांडेंट/अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

...2

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू.रा.संहिता-1959

ग्राम का नाम :- बरखेड़ीखुर्द तह.हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक :- 14/अ-12/14-15
आदेश दिनांक :- 15-06-2015
न्यायालय का नाम :- राजस्व निरीक्षक टी.टी.नगर वृत्त-तहसील हुजूर जिलाभोपाल म0प्र0

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्रतापूर्वक निम्न निवेदन करता है :-

अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षण तहसील हुजूर, टी.टी.नगर वृत्त जिला भोपाल के समक्ष रेस्पांडेंटगण द्वारा ग्राम बरखेड़ी खुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक-76/1ख, 76/2, 76/3/1, 76/3/2, कुल रकबा 14.25 एकड़ भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1-6-15 को प्रस्तुत किया । जिसका सीमांकन दिनांक 6-6-15 को को संबंधित समस्त भू-धारियों कोसूचना दिये बिना तहसील कार्यालय से ही सीमांकन से संबंधित दस्तावेज को रचना कर आदेश पारित कर दिया गया जिससे दुखी एवं क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण निम्न वैधानिक ठोस आधारो पर प्रस्तुत करते हैं :-

नर्मदा प्रसाद सोनी देवेन्द्र गोपाल

पुनरीक्षण के आधार

1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन स्वीकृति / आदेश दिनांक 15-6-15 एवं सीमांकन दिनांक 6-6-15 का सीमांकन विधि विरूद्ध है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि राजस्व निरीक्षण द्वारा दिनांक 6-6-15 को स्थल पंचनामा एक कूट रचित पंचनामा है जिसे देखने से ही स्पष्ट होता है सीमांकन सूचना पत्र में सभी भूस्वामियों का नाम नही है । राजस्व निरीक्षण द्वारा दिनांक 6-6-15 को जो पंचनामा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 737–पीबीआर/2016 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.04.16	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया । 2– आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन बिना तैयार किये सीमांकन आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण पंचनामा में हस्ताक्षर के बाद में जोडकर आवेदकगण की उपस्थिति दर्ज कर उनका कब्जा दर्शाया गया है। अंत में कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है, अतः सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 3– प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध दिनांक 2–2–2016 को लगभग 7 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का समाधानकारक कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनावेदकगण की भूमि पर अवैध कब्जा किये हुये हैं और अनावेदकगण को कब्जा नहीं देने कि दृष्टि से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।	

4– तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण उपस्थित हुये हैं और उनके द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन आदेश की जानकारी आवेदकगण को प्रारंभ से ही रही है, इसलिये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक प्रकरण के गुण दोष का प्रश्न है, जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि सीमांकन के समय आवेदकगण उपस्थित रहे हैं और सीमांकन की सूचना दैनिक समाचार पत्र के द्वारा भी जारी की गई है । सीमांकन विधिवत् टी0एस0एम0 मशीन से चॉदे से मिलान करके किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाकर उनके द्वारा ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन तैयार नहीं कराना महत्वहीन है । इसके अतिरिक्त यदि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा नहीं है तब वे अपनी भूमि का सीमांकन करा सकते हैं ।

5– उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष